कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 202 /दो—11—15/2019 नर्मदापुरम, दिनांक 16.02.2026

विक्की पाटिल, साक्ष्य लेखक न्यायालय प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन, पिपरिया का चिकित्सा आधार पर दिनांक 02.02.2026 से 06.02.2026 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 01.02.2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 182 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 816 /दो—11—15/2019 नर्मदापुरम, दिनांक 16.02.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

02. प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन पिपरिया की ओर श्री विक्की पाटिल, साक्ष्य लेखक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

16/2/26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)